प्रेषक,

अपर निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जनपद हरिद्वार/पौडी गढ़वाल/
पिथौरागढ़/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग।

संख्याः 1664 /ई0निवि0सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2018–19 दिनांकः 17 अक्टूबर, 2018

विषयः– **पांच है0 से कम क्षेत्रफल के 85 उपखनिज लॉट की ई–निविदा प्रक्रिया, निविदा प्रपत्र में पात्रता की शर्त में त्रुटिपूर्ण टंकण हो जाने के कारण निरस्त किये जाने के फलस्वरूप निविदाकारों का आवेदन शुल्क के रूप में जमा धनराशि वापस किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रभारी अधिकारी लेखा, भू0खनि0ई0 के पत्र संख्या 912/ई0निवि0सहई0नीला0/भू0खनि0 ई0/2017–18, दिनांक 19 जुलाई, 2018 एवं पत्र संख्या 1616/ई0निवि0सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद हरिद्वार, पौडी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तराकाशी एवं रूद्रप्रयाग के 05 है0 से कम क्षेत्रफल के 85 उपखनिज लॉटों के आवंटन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 में ई–निविदा प्रक्रिया में पात्रता की शर्त में त्रुटिपूर्ण टंकण हो जाने के कारण निरस्त हो जाने के फलस्वरूप समुचित मागदर्शन प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत शासन को प्रेषित कार्यालय पत्र संख्या 846/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक 29 जनवरी, 2018 के क्रम में शासन स्तर पर प्रमुख सचिव महोदय खनन की अध्यक्षता में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें मत स्थिर हुआ कि दिनांक 18.12.17 को प्रकाशित विज्ञप्ति में 05 है0 से कम क्षेत्रफल के 85 उपखनिज लॉटों की पात्रता सम्बन्धी त्रुटि के कारण निरस्त की गई, प्रक्रिया को पुनः ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु विज्ञापित कर आमंत्रण नये आवेदन के रूप में प्राप्त करते हुये पूर्व में फर्म/प्रोपराईटरी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र हेतु रू0 50,000.00 एवं मैदानी क्षेत्र हेतु रू0 1,00,000.00 आवेदन शुल्क के रूप में जमा धनराशि को पुनः उपयोग किये जाने के स्थान पर आवेदक को वापस हस्तान्तरित कर दिया जाय। उक्त आवेदन शुल्क की धनराशि को वापस किये जाने हेतु प्रश्नगत मद में रू0 1,00,00,000.00 (रू0 एक करोड मात्र) की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत/आवंटित कर दी गई है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि 05 है0 से कम क्षेत्रफल के 85 उपखनिज लॉटों के आवंटन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 में ई–निविदा प्रक्रिया में पात्रता की शर्त में त्रुटिपूर्ण टंकण हो जाने के कारण निरस्त की गयी थी, में अपने जनपद से सम्बन्धित तत्समय फर्म/प्रोपराईटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन शुल्क के रूप में जमा ट्रेजरी चालान की मूल प्रति आवेदक से प्राप्त कर, निम्न प्रारूप पर सूचना सुस्पष्ट संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:–

क्र0 सं0	आवेदक का नाम व पता	उपखनिज लॉट का विवरण	क्षेत्रफल	आवेदन शुल्क के रूप में जमा ट्रेजरी चालान सं0 एवं दिनांक	आवेदक का बैक का नाम/खाता सं0	आई0एफ0 सी0 कोड	आवेदक का टिन नं0/पैन नं0
1	2	3	4	5	6	7	8

अतः ई–निविदा सह ई–नीलामी के आवेदकों के आवेदन शुल्क वापिस किये जाने हेतु उक्तानुसार सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत प्रकरण मे अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक

पृष्ठांक : 1664 **/ई0निवि0सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2018–19,** **तद्‌दिनांक।**

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महोदय, जनपद हरिद्वार/पौडी गढ़वाल/पिथौरागढ़/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक